

# प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बीस'

[21/7/2016]

प्रश्न सं. [क. 1701]


परिशिष्ट-1

(17)

प्रश्न सं. - 9.5.1701

PUBLIC WORKS DEPARTMENT BEFORE  
Proposed Typical Cross Sections for CC Road & Drain  
SEHORE CITY PORTION  
CH : 3150 to 7800

Constn. of 4-lane Road from Soya chopal to Housing board colony Length - 8.00 K.m.



कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग सीहोर

क्रमांक / / तक / अतिक्रमण दिनांक

प्रति,

उपस्थित  
मुख्य कार्यालय सीहोर

विषय :- शासकीय भूमि / सड़क पर से अतिक्रमण हटाने बावत् ।

एतद द्वारा न.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत नोटिस देकर आपको सूचित किया जाता है कि आपने  $26.70 \times 2.80 = 74.76$  वर्गमीटर क्षेत्रफल में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है ।

दुकान एवं ग्रेनर

अतः इस पत्र द्वारा आपको नोटिस देकर सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा शासकीय भूमि पर जो अतिक्रमण किया गया है, इसे तुरंत दिवस की अवधि में हटा लेवे अन्यथा अतिक्रमण शासकीय तौर पर बिना कोई अग्रिम नोटिस दिये हटाया जावेगा । जिसका समस्त व्यय आपको ही वहन करना होगा एवं आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी । जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।

सहपत्र :- शून्य

अतिरिक्त तहसीलदार  
एवं अनुविभागीय अधिकारी  
लो.नि.वि.उपसंभाग सीहोर

पृ0क्रमांक / 805 / तक / अतिक्रमण

दिनांक 10.5.16

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर जिला सीहोर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की ओर सूचनार्थ ।
3. कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि.संभाग की ओर सूचनार्थ प्रस्तुत ।
4. तहसीलदार तहसील सीहोर की ओर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. उपयंत्री लो.नि.वि. उपसंभाग सीहोर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

अतिरिक्त तहसीलदार  
एवं अनुविभागीय अधिकारी  
लो.नि.वि.उपसंभाग सीहोर

सहपत्र :- शून्य